



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122021-232072
CG-DL-E-22122021-232072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]
No. 717]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2021/पौष 1, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021/PAUSA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2021

सं. 76/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 876(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स, 407 और 410 से भिन्न सभी ब्लेंड्स को छोड़कर” (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3824 78 00 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 06/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
- (ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण*	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3824 78 00	हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजियांग कुझो लियानझो रेफ्रिजरेट कं, लिमिटेड	2,160.27	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	ज़िबो फीयुआन केमिकल कं, लिमिटेड	1,620.60	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेडोंग डोंग्यू केमिकल कं, लिमिटेड	1,553.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताईचांग) कंपनी लिमिटेड और सिनोकेम लेंटिएन फ्लोरो मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	1,837.14	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं, लिमिटेड	1,899.68	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्र.सं. 1. से 5. में उल्लिखित से भिन्न	2,250.56	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	-तदैव-	-तदैव-	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाता हो उनसे भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	2,250.56	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

* हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स, 407 और 410 से भिन्न सभी ब्लेंड्स को छोड़कर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/280/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2021

No. 76/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 876(E).—Whereas, in the matter of “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded.” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 3824 78 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 06/34/2020-DGTR, dated the 27th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th September, 2021, has come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) there is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	38247800	Hydrofluorocarbon Blends	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.	2,160.27	MT	US\$

2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	1,620.60	MT	US\$
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	1,553.45	MT	US\$
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd	1,837.14	MT	US\$
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd.	1,899.68	MT	US\$
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than S N 1. to 5.	2,250.56	MT	US\$
7.	-do-	-do-	Any other country other than country attracting anti-dumping duty	China PR	Any	2,250.56	MT	US\$

* Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/280/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.